भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4360
दिनांक 19 अगस्त, 2025/ 28 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम

4360. श्री अजय भट्टः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान और भारत-नेपाल सीमा पर सुदूर गाँवों के विकास के लिए 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' शुरु किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक चिह्नित किए गए गाँवों की संख्या क्या है और उन गाँवों का ब्यौरा क्या है, जहाँ इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य शुरू किया जा चुका है;

(ग) इन गाँवों में सड़क, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे कौन-कौन से अवसंरचना विकास कार्य विशेष प्रयास से किए जा रहे हैं;

(घ) क्या उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के किसी सीमांत जिले को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो संबंधित राज्य के चयनित गाँवों की सूची और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ)**:** सरकार ने अरुणाचल प्रदेश**,** हिमाचल प्रदेश**,** सिक्किम**,** उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के 19 जिलों की उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी**,** 2023 को केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-I (वीवीपी-I) को स्वीकृति दी है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारंभ में 662 सीमावर्ती गाँवों की प्राथमिकता पर व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। राज्यवार गाँवों की संख्या इस प्रकार हैः अरुणाचल प्रदेश-455**,** हिमाचल प्रदेश-75**,** सिक्किम-46**,** उत्तराखण्ड- 51 और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख-35.

इस कार्यक्रम के अंतर्गत फोकस्ड क्षेत्रों में हस्तक्षेप के माध्यम से चिन्हित गाँवों में पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रचार-प्रसार, कौशल विकास एवं उद्यमिता क्षमता का निर्माण एवं कृषि/बागवानी, औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों की खेती आदि सहित सहकारी समितियों के विकास द्वारा जीविकोपार्जन के अवसर निर्माण की परिकल्पना की गई है। हस्तक्षेप के क्षेत्रों में असंबंध गाँवों को संपर्क प्रदान करने हेतु सड़क निर्माण, ग्रामीण अवसंरचना, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा की उपलब्धता, टेलीविजन एवं दूरसंचार संपर्क भी सम्मिलित है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को चयनित गाँवों में रहने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना है।

केन्द्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले से ही वीवीपी-I के अन्तर्गत कवर की गई उत्तरी सीमा के अलावा, ब्लॉकों में स्थित चुनिंदा रणनीतिक गाँवों के व्यापक विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 6839 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रुप में वाईब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-II (वीवीपी-II) को 2 अप्रैल, 2025 को स्वीकृति दी है।

*****